


कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर

विज्ञापित - 02/2024
दिनांक - 15.02.2024

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 02/2018/661/सात-न्याय-7-2018-47/2002 दिनांक 30.01.2018 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में गठित स्थायी लोक अदालत हेतु आशुलिपिक, पेशकार एवं चपरासी के 01-01 पदों (जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (आयु 65 वर्ष से कम हो) पर दिनांक 25.01.2024 तक मांगे गये थे, उक्त दिनांक तक आशुलिपिक, पेशकार एवं चपरासी पद हेतु उचित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं। तत्क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आशुलिपिक, पेशकार एवं चपरासी के 01-01 पद हेतु पुनः आवेदन आमन्त्रित किया जा रहा है। जिसका विवरण तालिका में अंकित है-

पद का नाम	पदों की संख्या	पद के सापेक्ष मानदेय
पेशकार	1	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (आयु 65 वर्ष से कम हो) को निर्धारित मानदेय रू० 9000/- प्रति माह पर अधिकतम 02 वर्ष के लिये अनुबंधित करने हेतु
आशुलिपिक	1	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (आयु 65 वर्ष से कम हो) को निर्धारित मानदेय रू० 9000/- प्रति माह पर अधिकतम 02 वर्ष के लिये अनुबंधित करने हेतु
चपरासी	1	जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (आयु 65 वर्ष से कम हो) को निर्धारित मानदेय रू० 7000/- प्रति माह पर अधिकतम 02 वर्ष के लिये अनुबंधित करने हेतु

शासनादेश द्वारा सूचित उपरोक्त पदों पर आवेदन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी अपना नाम, पता, जन्मतिथि, विभाग का नाम (जहां से सेवानिवृत्ति हुये हैं) सेवानिवृत्ति की तिथि, फिटनेस प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) तथा मोबाइल नं० अंकित करते हुये किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे के मध्य दिनांक 22.02.2024 तक, आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के कार्यालय से प्राप्त कर अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट <https://www.allahabadhighcourt.in> एवं जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर की वेबसाइट <https://www.ambedkarnagar.courts.gov.in> से डाउनलोड करके जमा किया जा सकता है। दिनांक 22.02.2024 के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


(कमलेश कुमार मोहन)
अपर जिला जज / सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अम्बेडकरनगर।